- मुंडारी ग्रुप की भाषाओं को मिलकर अपनी भाषा के विकास के लिए लड़ना होगा।
- झारखंडी भाषा, संस्कृति और धर्म की स्वायत्तता की लड़ाई जरूरी, जिसके लिए राम दयाल मुंडा ने लड़ाई लड़ी। लेकिन संकीर्णता से ऊपर उठकर।
- ~~आदिवासी~~ आदिवासी महासभा जैसी संकीर्णता से उठकर झारखंडी एकता कायम करना होगा।
- झारखंड के प्रशासन पर झारखंडियों का कब्जा हो।
- खनिज झारखंडी जनता की संपत्ति है। उसका, लीज किसी पूंजीपति, कंपनी को नहीं देना है। इस का पूरा फायदा जनता को मिलना चाहिए।
- सभी आगत कारखानों को तत्काल हटाओ, इनसे झारखंड और झारखंडियों को सिर्फ नुकसान ही है।
- झारखंडी नेता खुद के विकास और खुद के लिए पैसा-सत्ता के प्रयास में न लगें। झारखंड और झारखंडी जनता के विकास के बारे में सोचें, लड़ें।
- खुद के लिए प्रयास करने वाला झारखंड के नेता हो के लिए नहीं कर सकता।

अन्तिम क्षणों में भी उनके मन में
झारखंड के नवनिर्माण के सूत्र उमड़ते-घुमड़ते रहे.......

झारखंड के वैकल्पिक विकास और नवनिर्माण की दिशा

(विमर्श हेतु प्रस्तुत आलेख)

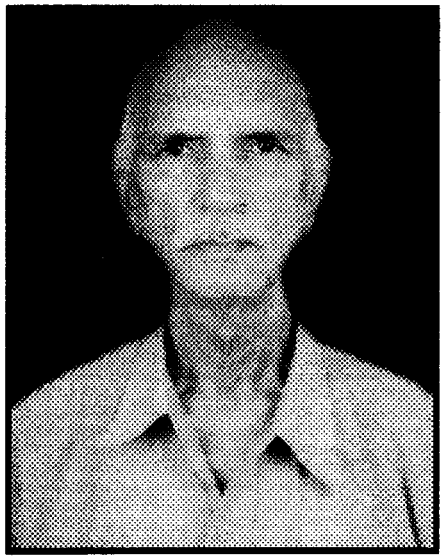

अपने साथी सीताराम शास्त्री
(5 जनवरी 1940–24 अक्टूबर 2012)
की स्मृति में

प्रकाशक

विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा

सम्पर्क कार्यालय : बगईचा, नामकुम, राँची

विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा की बैठक में
विमर्श के लिए सीताराम शास्त्री द्वारा प्रस्तुत नीति प्रस्ताव

प्रकाशन तिथि : 20 दिसम्बर, 2012

मुद्रक : अनिता प्रिंटर्स,
98, रोड नं 3, काशीडीह, साकची, जमशेदपुर –01

प्रकाशक : विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा, झारखंड
सम्पर्क : बगईचा, नामकुम, राँची, झारखंड

एक समर्पित जिन्दगी - सीताराम शास्त्री की याद.....

सीताराम शास्त्री – अपने अंतिम साँस तक झारखंडी जनता के हितों पर बेचैन एक शख्सियत। झारखंडी भावना से एकाकार एक बुद्धिजीवी।

सीताराम शास्त्री का परिवार आंध्रप्रदेश के विजयनगरम् का मूलनिवासी रहा है। माता का नाम–अप्पल नरसम्मा, पिता का नाम – सत्यनारायण। सीताराम शास्त्री माता–पिता की कुल छः संतानों में चौथे थे। दो बड़ी बहनें, एक बड़े भाई और फिर दो छोटी बहनें।

सीताराम शास्त्री का जन्म 5 जनवरी 1940 को हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा ए. डी. एल. स्कूल, जमशेदपुर में हुई। 1956 में मैट्रिक परीक्षा पास की। उच्च माध्यमिक शिक्षा के.एम.पी.एम. में ली। अध्ययन के बाद वहीं दो वर्ष तक अध्यापन भी किया। को–ऑपरेटिव कॉलेज से बी.कॉम. की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम में जूनियर ऑफिसर के रूप में नौकरी की। जीवन बीमा निगम में यूनियन की गतिविधियों में जुड़ना शुरू किया। नक्सल आंदोलन के वातावरण से प्रेरित होकर जीवन बीमा निगम की नौकरी छोड़ी और चक्रधरपुर में एक मित्रसमूह के साथ मिलकर मजदूर आंदोलन को संगठित करना शुरू किया। यह क्रम प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ सालों से ज्यादा नहीं चला। इसी अवधि में वे आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम एवं हैदराबाद जैसी जगहों पर गये और वहाँ एक अलग ही किस्म की जिन्दगी जीयी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, मसाला बेचा तथा प्रिंटिंग प्रेस में काम किया।

किन्तु सीताराम शास्त्री के मन में शायद झारखंड की आबोहवा ही हावी रही। वे लौट आए। सिंदरी में मजदूर संगठन की गतिविधियों में सहयोग करने में लगे रहे। ए. के. राय के साथ भी काम किया। शिबू सोरेन के साथ घूमते रहे। कम्युनिस्ट पार्टियों और जमातों के कार्यकर्त्ताओं और बुद्धिजीवियों के बीच झारखंड आंदोलन के मसले पर अनवरत बहस चलाते रहे। राष्ट्रीयता की अवधारणा और झारखंड आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने पुस्तिका भी लिखी।

झारखंड की जमीन और झारखंड के मसले से गहरा लगाव तो था, पर बचपन से ही एक यायावरी मिजाज भी था। बालकाल में वे हिमालय में जाकर रमने की आकांक्षा रखते थे। 1974– 75 में वे पटना की धुरी पर रहकर

अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पत्रिका फिलहाल के प्रकाशन और वितरण में लगे रहे।

जीवनयापन की जद्दोजहद में भी वे समय– समय पर इधर–उधर घूमते रहे। 80 में वे मुंबई में रहे। ब्लिट्ज में काम किया। वहीं वेंकट सत्य नलिनी के साथ उनका परिचय बढ़ा और दोनों बेहद सादगी भरी शादी के साथ पति–पत्नी बन गए। 12 फरवरी 1981 में बेटी कांतिप्रभा का जन्म हैदराबाद में हुआ।

जनपक्षीय एवं सार्थक लोगों और मुहिमों से सीताराम शास्त्री अपनी पहल से सहज जा जुड़ते थे। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यक्षेत्र में, शंकर गुहा नियोगी के साथ जुड़कर भी उन्होंने कार्य किया। वहाँ वे 'मितान' नामक पत्रिका के प्रकाशन में जुड़े रहे। 1983 में 'हिरावल' पत्रिका का संपादन झारखंड में रहकर किया। अप्रैल 1984 से अगस्त 1984 तक रांची में 'आवाज' अखबार के सह संपादक के रूप में रहे। 1984 में ही 'एकलव्य' की टीम से जुड़े। अनुपपुर (मध्यप्रदेश) में वैकल्पिक रचना और शिक्षा की बौद्धिक सृजनशील टीम के साथ जुड़े रहे।

बेटी कांतिप्रभा पढ़ाई की उम्र में पहुँच रही थी। पारिवारिक दायित्व के लिए एक स्थिरता की जरूरत थी। सीताराम शास्त्री ने फिर से जमशेदपुर में ठिकाना बनाया। टिस्को और टेल्को में नियमित रूप से हिन्दी–अंग्रेजी, अंग्रेजी–हिन्दी के अनुवाद का काम करते रहे। बेटी की शैक्षणिक प्रतिभा को निखारने का काम करते रहे। इस दौरान झारखंड की राजनीति में अपनी बौद्धिक तथा सक्रिय भूमिका भी निभाते रहे। आजसू और झारखंड़ समन्वय समिति (जे.सी.सी.) से उनका रिश्ता रहा। इसी कालावधि में उन्होंने 'झारखंड दर्शन' नाम की पत्रिका का संपादन और वितरण–प्रसारण किया।

80 के दशक के उतरार्ध में संघर्ष वाहिनी की धारा की पहल से एक सांप्रदायिकता विरोधी नागरिक संगठन 'इन्सानी एकता अभियान' बना। साकची हावड़ा ब्रिज के पास के खुशबूनगर के मुस्लिम बाशिंदों को आतंक से उजाड़ने की साजिश के खिलाफ 'इन्सानी एकता अभियान' के आंदोलन में शास्त्री जी पूरी लगन से जुड़े। 5–6 दिन अनशन करनेवाले तीन साथियों में से एक वे रहे। 1991 के आस–पास वे जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी से जुड़े। वे हमेशा अपनी पहल से झारखंड की तमाम सकारात्मक और संघर्षात्मक गतिविधियों से जुड़ते रहे। वे झारखंड मुक्ति वाहिनी के संयोजक मंडली में भी रहे।

कोल्हान क्षेत्र के संघर्षशील समन्वय– विस्थापन विरोधी एकता मंच, विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा जैसे प्रांतीय मोर्चे, सी. एन.टी.एक्ट के उल्लंघन के विरोध में चलने वाले अभियान, झारखंड के कृषि एवं ग्राम विकास की कोशिशों में वे निरंतर नेतृत्वकारी और पहलकारी भूमिका में रहे।

विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा का वैकल्पिक विकास विषयक वैचारिक प्रारूप बनाने का जिम्मा भी उन्हें मिला था। उन्होंने वह आलेख तैयार किया। उसपर एक दो दौर की चर्चा हो चुकी है। कुछ और चर्चा कर उसे अन्तिम रूप दिया जाना है। उनका वह वैचारिक प्रस्ताव उनकी वैचारिक स्मृति के बतौर पुस्तिका के रूप में यहाँ साथ दी जा रही है।

सीताराम शास्त्री के परिचय और अंतरंगता का दायरा बड़ा था। झारखंड में भी, देश में भी। झाारखंड के प्रति प्रतिबद्ध तमाम जाने–पहचाने और मायने रखने वाले लोगों से वे जुड़े रहे।

❖❖❖❖❖❖

झारखंड के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक नीति के मुख्य बिंदु

ऐसे तो भारत में आर्थिक नीतियां मुख्यतः संपन्न एवं अभिजात्य वर्गों और सत्ता में बैठे हुए उनके दलालों के हित में बनायी जाती हैं लेकिन झारखंड में यह और भी ज्यादा सच है। निम्नलिखित उदाहरणों से झारखंड की मौजूदा आर्थिक नीति को समझने में आसानी होगी।

चांडिल में सुवर्णरेखा नदी पर बांध से बने जलाशय में इफरात जल भंडार है। 25 कि.मी. दूर तक फैला हुआ है। लेकिन जलाशय के दोनों बगल की अधिकतर जमीनों पर सिर्फ धान की एक फसल होती है, और वह भी बारिश के भरोसे। अगर जलाशय के पानी का उपयोग उद्वह सिंचाई (लिफ्ट इरिगेशन) द्वारा उन खेतों की सिंचाई के लिए किया जाये तो सैकड़ों गांवों में साल भर भरपूर फसलें उपजायी जा सकती हैं। इस जलाशय में वैज्ञानिक ढंग से मछलीपालन हो तो सैकड़ों गांवों की आजीविका की गारंटी हो सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। 20 साल से यह पानी जमा है, पर सरकार का ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। झारखंड के खनिजों का लगभग मुफ्त में दोहन करके अपनी पूंजी के साम्राज्य का विस्तार कर रहे उद्योगपतियों के हित में यह बांध बनाया गया। अभी टाटा इसी जलाशय के बगल में तिरुलडीह के आसपास एक बड़ा कारखाना बनाने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इसके लिए सारी सुविधाएं देने का वादा कर दिया है। और यह बात तय है कि टाटा का कारखाना बनना शुरू होते ही प्रतिदिन लाखों गैलन पानी इस जलाशय से खींचता रहेगा। आखिर यह उसका राइपेरियन अधिकार बन जायेगा, जैसे जमशेदपुर में!

इसी तरह झारखंड के अधिकतर बांधों का निर्माण वास्तव में शहरों और उद्योगों को पानी देने के लिए ही हुआ है, हालांकि सिर्फ प्रचार के उद्देश्य से उनके प्रयोजनों में सिंचाई भी जोड़ दी गयी है।

झारखंड की जमीन का करीब 30 प्रतिशत भूभाग वनभूमि है। इसमें सघन वन का हिस्सा तो कोई 10–12 प्रतिशत ही होगा। बाकी लगभग खाली पड़ी वनभूमि पर फलदार पेड़ और अन्य जनोपयोगी पेड़ लगाये जायें तो मात्र 3 से 5 वर्षों के अंदर झारखंड के सभी गांवों को इससे अच्छा–खासा फायदा होने लगेगा। साथ ही अगर सरकार वनभूमि में हजारों तालाब और चेकडैम बनाये तो झारखंड में होने वाली 1400 मि.मी. की औसत वार्षिक वर्षा से मिलने वाले पानी का एक बड़ा हिस्सा जमीन के ऊपर और अंदर संचित हो जायेगा। यह पानी नमी बनकर वनभूमि के बगल में स्थित गांवों की जमीन में फैलेगी और वहां साल भर किसी न किसी प्रकार की फसल का उत्पादन हो सकेगा। उन तालाबों और चेकडैमों में बड़े पैमाने पर मछली पालन करके लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन नहीं। सरकार ऐसा भी नहीं करेगी। जमीन ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी, और सरकार हर साल हजारों एकड़ वनभूमि खदानों–कारखानों को दान करती रहेगी; क्योंकि सरकार के लिए उनका विकास ही विकास है, गांवों और ग्रामीण जनता का विकास विकास नहीं है।

अंग्रेजों के जमाने से झारखंड क्षेत्र में किसी भी सरकार की प्राथमिकता यहां की जनता के हित की नहीं रही है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद और देशी–विदेशी पूंजीपतियों के हित में यहां नीतियां और कार्यक्रम बनाये जाते रहे हैं। अंग्रेजों ने जो खनिजों और जंगलों को केंद्र की संपत्ति करार दिया, वह नीति आज भी कायम है। सरकार पूंजीपतियों को कौड़ी के मोल खनिजों और वन संपदा का दोहन करने देती है। हम मानते हैं कि खनिजों और वन संपदा पर राज्य के मूल वाशिंदों का अधिकार है।

झारखण्ड क्षेत्र में योजनाबद्ध ढंग से खेती की उपेक्षा की नीति अपनायी गयी है। झारखण्ड में सिंचाई का यह हाल है कि झारखण्ड में सबसे अधिक सिंचाई वाले गढ़वा जिले में सिंचाई की मात्रा देश के औसत से भी कम है। अंग्रेजों के जमाने से ही झूठ पर आधारित एक स्पष्ट नीति अपनायी गयी कि झारखंड का इलाका खेती के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि यह उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त है; यहाँ खदान और कारखानों का व्यापक विस्तार करना चाहिए। इस बिना पर यहाँ सिंचाई का विकास नहीं किया गया। यही नीति आजादी के बाद भी जारी रखी गयी।

कृषि व्यवस्था को चौपट करके, खेती को अलाभकर बनाकर, ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था की स्वायत्तता को पूरी तरह खतम करके, किसानों को असहाय स्थिति में डालकर सरकार का मुंहताज बना दिया गया। और तरह–तरह की स्कीमों के अंतर्गत एक समय की स्वायत्त ग्रामीण जनता को सरकारी अफसरों–कर्मचारियों, सत्ताधारी दलों के नेताओं और बिचौलियों के सामने भिखारी बना दिया गया है।

वैश्वीकरण ने धनी और गरीब के बीच, शहर और गांव के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। द्रुत शहरीकरण के लिए ग्रामांचल की उपेक्षा की गयी। द्रुत औद्योगीकरण के लिए कृषि में कटौती की गयी। ग्रामीण गरीब विस्थापित किये गये।

अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड एक आंतरिक उपनिवेश ही है। यहां के प्राकृतिक संसाधनों पर झारखंडी जनता का कब्जा और नियंत्रण नहीं है। झारखंड के संसाधनों पर झारखंडी जनता का असरदार नियंत्रण कायम करना, अंग्रेजों के समय से अब तक झारखंडियों के साथ किये गये अन्यायों को दूर करके उसका प्रतिसाद दिलाना, और झारखंडी जनता के विकास को प्राथमिकता देते हुए सारे विकास कार्य करना झारखंड सरकार की नीति होनी चाहिए।

हमें झारखंड के लिए एक वैकल्पिक नीति बनानी है। वैकल्पिक विकास के मॉडल में शामिल हैं: ग्रामीण विकास को प्राथमिकता; कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश और उनका आधुनिकीकरण; ग्रामीण इलाकों में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा; शहरों को पलायन रोककर ग्रामांचल में तृणमूल भागीदारी, सामुदायिक स्वामित्व, प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण और ग्रामांचल के विकास के आधार पर विकास परियोजनाएं।

झारखंडी जन के लिए जमीन का अर्थ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसमें जमीन के ऊपर और नीचे की सारी चीजें शामिल हैं – हवा, पानी, वनस्पति, खनिज, पर्यावरण आदि। जब झारखंडी उजाड़ा जाता है तब वह सिर्फ अपनी जमीन से ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी जीवन–पद्धति, संस्कृति और समुदाय से उजड़ जाता है। इसलिए विकास की कोई प्रक्रिया चलाते समय ख्याल में रहे कि वह अपने परिवेश से विस्थापित न हो जाये।

सदानीरा नदी घाटी इलाकों में उपलब्ध अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पानी वहां की जनता की संपत्ति होती है जिसके द्वारा वहां के लोग भरपूर फसलें पैदा करते और उनका उपभोग करते हैं, तथा अतिरिक्त उत्पादन दूसरों को बेचते हैं। उसी प्रकार झारखंड जैसे क्षेत्रों में जमीन के ऊपर के जंगलों और नीचे के खनिजों पर इन क्षेत्रों की जनता की मालिकाना होनी होगी, और वे ही वनोपजों और खनिजों के मालिक हों, उनका उत्पादन करें और दूसरों को बाजार मूल्य पर बेचें। सरकार द्वारा वनोपजों और खनिजों को कौड़ी के भाव पूंजीपतियों को देना तत्काल बंद करना पड़ेगा। हजारीबाग में मिथिलेश डांगी द्वारा प्रयोग की जा रही पद्धति के अनुसार जन–स्वामित्व में खनिजों का दोहन होना चाहिए।

विश्व विकास रिपोर्ट बताती है कि कृषि की बढ़त दर, गैर–कृषि बढ़त दर के मुकाबले गरीबी और आर्थिक विषमता दूर करने में चार गुना अधिक कारगर है। ग्रामीण विकास से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। देश में पूंजी के निर्माण का असली आधार लोगों की क्रयशक्ति होती है। लोग बाजार से चीजें खरीदें; उन चीजों की मांग बने और बढ़े तो उन वस्तुओं के कारखाने बनेंगे। उन कारखानों के लिए जरूरी पूँजीगत वस्तुओं के कारखाने बनेंगे। इस प्रक्रिया में मांग और उत्पादन के बीच एक निश्चित संबंध और संतुलन होता है। लेकिन पूरे भारत और वैश्वीकरण की नीति पर आधारित नीति के तहत झारखंड में भले ही लाखों करोड़ों रुपयों का उत्पादन हो जाये पर उससे झारखंडी जनता को लाभ नहीं मिलता है। इस उत्पादन का लाभ पूरे भारत और विश्व में अज्ञात स्थलों और लोगों के पास चला जायेगा। इस प्रक्रिया में जो जितना छीन सके उतना उसका है। इस प्रक्रिया से झारखंड और झारखंडी जनता को फायदा नहीं होगा, न ही उनका विकास होगा। जन आधारित विकास प्रक्रिया से ही झारखंड और जनता को फायदा होगा, और उसी से देश की जनता को भी फायदा होगा। जन आधारित विकास प्रक्रिया के विवरण नीचे दिये गये हैं।

विकास को निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए:

- समाज व्यवस्था को समानता, आजादी, विकेंद्रीकरण और आत्म–निर्भरता के मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सर्वाधिक सत्ता ग्रामसभा और जिला के स्तर पर केंद्रित होनी चाहिए। राज्य के बजट का 25 प्रतिशत भाग इन स्तरों को मिलना चाहिए।
- उत्पादन और वितरण को आवश्यकता–आधारित होना चाहिए।
- पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए।

उद्योगों के विकास के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- सरकार द्वारा किये गये तमाम एम ओ यू रद्द किये जाने चाहिए। किसान और ग्रामसभा की मर्जी के बिना उनकी जमीन नहीं ली जानी चाहिए। अगर कहीं जमीन ली भी जाती है तो वह लीज पर ली जानी चाहिए और प्रति एकड़ प्रति माह 10,000 रु0 लीज किराया रकम दी जानी चाहिए।
- उद्योगों की छोटी इकाइयां कायम की जायें। ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि एवं वनोपजों पर आधारित उद्योगों के लिए ग्रामीणों को सहायता दी जानी चाहिए।
- प्रदूषण फैलाने वाले स्पंज आयरन कारखाने बंद किये जाने चाहिए। बाजार और बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य में निर्माण एवं उत्पादन कार्य किये जायें। जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषणमुक्त रखा जाये।

कुटीर और लघु उद्योग

बड़े उद्योगों के बदले कुटीर और लघु उद्योगों पर केंद्रित करना चाहिए। हरेक प्रखंड में आइटीआइ खोलने चाहिए। योजना यह है कि इन उद्योगों का संचालन झारखंड की ग्रामीण जनता द्वारा होना चाहिए। इनमें लाह, तसर जैसे कीट आधारित उत्पादन के उद्योग, टमाटर सॉस जैसे कृषि उत्पाद आधारित उद्योग और वनोपजों पर आधारित उद्योग भी शामिल होंगे। इनके अलावा साबुन जैसी दैनंदिन जरूरत की वस्तुओं और बड़े उद्योगों के लिए आनुषंगिक उत्पादन भी शामिल होंगे। इन वस्तुओं के विपणन के लिए सरकार को हरेक छोटे–बड़े शहर में विपणन केंद्र खोलने चाहिए और सरकार के लिए जरूरी वस्तुओं की खरीदारी इन उद्योगों से की जानी चाहिए। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार छोटे–छोटे ताप, पन, जैव एवं सौर ऊर्जा केंद्र बनाये जायेंगे ताकि 24 घंटे ग्रामीणों को सस्ते में बिजली मिल सके।

गांवों तथा कृषि एवं अन्य आनुषंगिक उत्पादनों के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसके लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं :

खेती और आनुषंगिक ग्रामीण उत्पादनों के लिए पानी एक अनिवार्य उपादान है। पानी की उपलब्धता में कमी–बेसी के अनुसार उत्पादनों को निर्धारित किया जाता है। परंपरागत रूप से नहरों, तालाबों, कुओं, नलकूपों से तथा सीधे वर्षाजल से पानी की व्यवस्था की जाती है। पिछले 40–50 वर्षों से हमारे देश में जलछाजन की पद्धति से जल संरक्षण एवं संचयन का प्रयोग शुरू किया गया है। क्रमशः 500 और 300 मि.मी. की औसत वार्षिक वर्षा वाले रालेगन सिद्धी में अन्ना हजारे द्वारा और राजस्थान के अलवर जिले में राजेंद्र सिंह द्वारा इसका निदर्शानात्मक सफल प्रयोग किया गया है। उसके बाद देश में विभिन्न स्थानों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार ने 1994 में इसे सिद्धांततः अपनाया। लेकिन आज तक सरकार ने इसके व्यापक प्रयोग के लिए कोई नीति और कार्यक्रम नहीं बनाये हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बड़े बांधों एवं नहरों के निर्माण, नदी जोड़ो योजना जैसे कार्यक्रमों से पूंजीपतियों और मंत्रियों–अफसरों को प्राप्त होने वाली आमदनी जलछाजन क्षेत्र विकास की पद्धति से नहीं होगी। यह पद्धति मुख्यतः किसान के लिए एवं किसान के सहयोग से विकेंद्रित रूप में होती है। इस पद्धति द्वारा वर्षाजल को बहकर सीधे नदी–नालों में जाने से रोक कर जमीन के अंदर और ऊपर संरक्षित किया जाता है। अगर झारखंड में सरकार और किसान इस पद्धति का प्रयोग करें तो सालभर कृषि एवं आनुषंगिक उत्पादन किये जा सकते हैं। झारखंड की 1400 मि.मी. की औसत वार्षिक वर्षा इस प्रयोग में निश्चित रूप से अतिरिक्त अंशदान करेगी। चूंकि सरकार को खेती और ग्रामीण विकास में मूलतः दिलचस्पी नहीं है इसलिए इस अद्‌भुत पद्धति का प्रचार–प्रसार नहीं हुआ है, और अधिकतर लोग आज भी इसे नहीं जानते हैं। वर्षा जल को बहकर चले जाने से रोकने से मिट्टी बहकर जाने से रुकेगा, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे साल भर किसी न किसी प्रकार की उपयोगी फसल या वनस्पति पैदा की जा सकेगी। भूजल का स्तर ऊपर उठेगा, जिससे कुओं और जल कूपों में आसानी से पानी उपलब्ध रहेगा। तालाबों, चेक बांधों, मेडबंदी आदि द्वारा पानी को बहकर जाने से रोका जा सकता है। पानी रोकने व संचित/संरक्षित करने के लिए छोटे ढांचों का निर्माण किसान खुद कर सकते हैं और सरकार आधारभूत संरचना के विकास की योजना के तहत बड़े ढ़ांचों का विकास करेगी।

जैसाकि शुरू में लिखा गया है झारखंड के कुल क्षेत्रफल का करीब 30 प्रतिशत वनभूमि है। इस क्षेत्र में वन विभाग मुक्त रूप से उपरोक्त पद्धति का प्रयोग करके जल संरक्षण की व्यापक योजनाएं बना सकता है जिससे झारखंड के करीब सारे कृषि क्षेत्र को आवश्यक मात्रा में नमी मिलेगी और साथ ही जंगल की वनस्पति का भी भारी विकास होगा। वनस्पति का विकास खुद जल संरक्षण का एक बड़ा जरिया है।

झारखंड में अधिकतर धान का ही उत्पादन होता है। लेकिन झारखंड की जमीन मकई, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। पहले यहां इनका व्यापक उत्पादन होता था। अब तथाकथित ऊंची जातियों के बुरे सांस्कृतिक प्रभाव से इनका उत्पादन घट गया है। इनका अधिक उत्पादन होना चाहिए। इनके उत्पादन में कम पानी खर्च होने के अलावा इनमें चावल और गेहूं की तुलना में अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। इनके अलावा दलहन, तेलहन, सरसों, सब्जियों के उत्पादन की संभावनाओं को काम में नहीं लगाया जा रहा है। इसके अलावा टांड़ इलाकों में बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ों की बागवानी की जा सकती है।

खेती के अलावा पशुपालन, मछलीपालन और कीटपालन की काफी संभावनाएं हैं। पशुपालन में गाय–भैंस, भेड़–बकरी, सुअर, मुर्गी–बत्तख पालन आदि शामिल हैं। कीटपालन में लाह, तसर, और शहद के कीट शामिल हैं। इसके अलावे कुकुरमुत्ते के उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं। इन सबका उत्पादन यहां पारंपरिक रूप से होता तो है पर व्यावसायिक उत्पादन और विपणन की व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है। किसानों को जैव कृषि, बहु–फसली कृषि और समाकलित ग्रामीण उत्पादन व्यवस्था (जिसमें बागवानी, पशुपालन,

जीवन के अंत की सुबह के पहले की चन्द रातों में सीताराम शास्त्री ने नीचे के ये सारे शब्द उकेरे थे.....

See
my articles on Jharkhand on desktop

पूँजीवाद खतम करो

गैर मजरुआ जमीन गाँव की, नहीं किसी व्यक्ति की

जमीन का सही और पूरा उपयोग
विस्थापन पर रोक
संसाधनों पर हक की चेतना
भूमि रक्षा कानूनों के कार्यान्वयन के लिए लड़ें
(ग्रामीण विकास नीतियों की प्राथमिकता,
fast track court, बदलें रिश्ते,
अवैध कब्जा का खात्मा करो, 71A हटाओ,

6th schedule लागू करें

---

1) ग्राम विकासोन्मुख नीति के खिलाफ-खिलाफ जनपहल
की एक नयी ग्रामीण अर्थव्यवस्था गढ़ने का
अभियान चलाना है।
1) पलायन रोकने और अस्तित्व बचाने के लिए –
- नीति बदलने की लड़ाई
- भूमि रक्षा की लड़ाई – CNT, SPT, 5th schedule,
- विस्थापन विरोधी लड़ाई
- ~~ग्राम~~ विकास का अभियान
- वन अधिकार की लड़ाई
- खनिजों पर अधिकार की लड़ाई
- पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की लड़ाई।

अपना ग्राम विकास कर्म

Water conservation
Agro-forestry
Small forest produce
Agriculture
Horticulture
Vermi compost
Animal husbandry
- cows, buffaloes, chicken, ducks, etc.
Mushroom
insects – lac, silk, honey-bee
ponds
infra-structure
library
Lab
marketing
transport – roads
cold storage
Hospitals,
Schools,
~~Colleges~~ and
Small industry
Training centres

Equal facilities must be provided to villages and towns. No discrimination

---

- स्कीम नहीं, संस्थागत बदलाव।
- ~~अभियान~~ विकास का अभियान और नीति बदलने
की लड़ाई (सिर्फ-सिर्फ चलाना है) ~~लड़ना~~
- जनता और संगठन – [illegible]

Battle of social change is to be fought not in Delhi, but in Delhi
- fight for democracy from grass roots.
- To fight, increase your economic strength

Important ~~issue~~ issues of Jharkhand –
— संपूर्ण झारखंड लेना है। ~~सभी~~ झारखंडी इलाकों
से सभी इलाकों को झारखंड में शामिल करना है।
— आदिवासी दूसरों से अलग नहीं। जो दबाये गये, लंबे
दौर से वंचित, दरकिनार रखे गये उन्हीं को आदिवासी,
नाम से, आदिकालीन मानव के नाम से खिलवाड़ लगाया
गया ताकि वे खुद और दूसरे उनका ~~शोषण~~ निचले स्तर
के मानव मान लें, ~~हीन~~ हीनता का बोध करें। ~~उन~~
90 प्रतिशत मूल झारखंडी आदिवासी ही हैं। उनको
संसाधनों पर आधारित विकास, अपनी स्वायत्तता, और
और आत्मविकास के लिए लड़ना है। उनको बाहर
के प्रयास के खिलाफ लड़ना होगा। (आदिवासी को अलग करना
अलग जताना एक साजिश है।)
— domicile की लड़ाई लड़ना होगा। बिहारियों का
दोनों बिहार और झारखंड में नौकरी पाने का हक
नहीं होना चाहिए। (सिर्फ एक राज्य का लाभ लें)

जंगल और
संगठन
संघर्ष
Jharkhand movement
में
प्रकाशित
लेख
रिपोर्ट
के
आधार
पर